



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272478
CG-DL-E-12052026-272478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 309]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

बैंक ऑफ़ इंडिया

(मानव संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सं. बीओआई/एचओ/एचआर/आईआर/एमकेबी/एल-48(ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/1/2022-आईआर दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में 1 नवंबर, 2022 को तथा इस तिथि से और आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक, कृत या परित्यक्त बातों को छोड़कर, बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 में, खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(एफ़) चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए और अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में ‘परिवार’ का अर्थ होगा—

- i) अधिकारी-स्टाफ सदस्य की पत्नी/पति;
- ii) पूरी तरह से आश्रित अविवाहित बच्चे (जिनमें सौतेले बच्चे और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं);
- iii) पूरी तरह से आश्रित शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग भाई या बहन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो;
- iv) विधवा बेटियाँ और आश्रित तलाकशुदा या पति से अलग रह रही बेटियाँ;
- v) बहनें, जिनमें अविवाहित, तलाकशुदा, पति द्वारा परित्यज, पति से अलग रह रही या विधवा बहनें शामिल हैं; और
- vi) माता-पिता, जो अधिकारी पर पूरी तरह से आश्रित हों:

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में, उनकी आयु चाहे जो भी हो, उन्हें विवाह के बाद भी आश्रित ही माना जाएगा, इस शर्त के अधीन कि वे आश्रित होने के लिए निर्धारित आय मानदंडों को पूरा करते हों।

व्याख्या 1. - “पूरी तरह से आश्रित” से अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से है जिनकी मासिक आय 18,000/- रुपये से अधिक न हो; और यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय 18,000/- रुपये से अधिक हो, या दोनों माता-पिता की कुल मासिक आय 18,000/- रुपये से अधिक हो, तो दोनों माता-पिता को अधिकारी-कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित नहीं माना जाएगा।

व्याख्या 2. - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और अवकाश किराया रियायत के प्रयोजनों के लिए, सभी अधिकारी कर्मचारियों के मामले में, आश्रित पिता, माता, ससुर और सास में से किन्हीं दो को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी के पास यह विकल्प होगा कि वह एक कैलेंडर वर्ष में एक बार, इन आश्रितों में से किसी एक को, या दोनों को बदल सके।

व्याख्या 3. - यह परिभाषा 1 अप्रैल, 2024 से और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना के प्रयोजन हेतु प्रभावी होगी; तथा आश्रितों के लिए संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

3. उक्त विनियमनों के विनियम 4 में,-

(ए) उप-विनियम 7 का स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा;

(बी) उप-विनियम 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

“(9) 01 नवंबर, 2022 को और उससे, प्रत्येक ग्रेड के लिए विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा:

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VIII = ₹.253000 - 9000/4 - 289000

वेतनमान VII = ₹.156500 - 4340/4 - 173860

वेतनमान VI = ₹.140500 - 4000/4 - 156500

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = रु.120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 – 135020

वेतनमान IV = रु.102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(सी) मध्य प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = रु.85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

वेतनमान II = रु.64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = रु.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

व्याख्या - प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्तूबर, 2022 को लागू वेतनमान द्वारा शासित होता है, उसे 1 नवंबर, 2022 को चरण-दर-चरण आधार पर इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा, अर्थात्, संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के अनुरूप चरणों में और वेतनवृद्धि हमेशा की तरह वार्षिक तारीख पर होगी, बशर्ते कि यदि अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(10) उप-विनियमों (1) से (9) में कुछ भी इस प्रकार नहीं समझा जाएगा कि बैंक को हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवा करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता है।

(11) 1 नवंबर, 2012 को और उससे, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:-

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 10 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 11 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता।

(12) 1 नवंबर, 2017 को और उससे, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 19 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VIII - मूल वेतन का 20 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता:

बशर्ते कि वेतनमान VIII के अधिकारी 31 मार्च, 2020 को और उससे, विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(13) 1 नवंबर, 2022 को और उससे, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:

वेतनमान I - मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान II – III मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता
 वेतनमान VI – VII मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता
 वेतनमान VIII – मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

टिप्पणी: उप-विनियम (11), (12) और (13) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते तथा उस पर लागू महंगाई भत्ते को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना), भविष्य निधि और उपदान सहित पेंशन जैसे अधिवर्षिता लाभों के योग्य नहीं माना जाएगा।"

4. उक्त विनियमनों के विनियम 5 में, -

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (9) के प्रावधानों के अध्यधीन, 1 नवंबर, 2022 को और उससे, वेतनवृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्: -

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (9) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर संचित होगी और जिस महीने में यह देय हो, उस माह के पहले दिन प्रदान की जाएगी;

(बी) अपने वेतनमानों में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अगले उच्चतर वेतनमान में स्थगन वेतनवृद्धि(यों) सहित आगली वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी, जैसा कि नीचे खंड (ग) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि वे दक्षता के स्तर को पार कर लें;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद खंड (बी) के अनुसार मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं, वे सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए सात स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो वेतनवृद्धियां प्रत्येक 2680/- रुपये और अगली पांच वेतनवृद्धियां 2980/- रुपये की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, छठी स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि अधिकारी सातवें स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

(डी) मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (बी) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के वेतनमान में चले गए हैं, वे सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों पर 2980/- रुपए की सात स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, छठी स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि अधिकारी पांचवीं स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात् या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं स्थगन वेतनवृद्धि प्राप्त करने का पात्र होंगे:

(ई) मूल रूप से (सबस्टेंटिव) मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में अधिकारी अर्थात्, जो मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में भर्ती किए जाते हैं या पदोन्नत होते हैं, स्केल की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के बाद, अपनी पूरी की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए वे आठ स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, इनमें से पहले चार स्थगन वेतनवृद्धि ₹2980/- की होंगी और अगली चार स्थगन वेतनवृद्धि प्रत्येक ₹3360/- की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी छठे स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि अधिकारी छठे स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, आठवीं स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

(एफ) वरिष्ठ प्रबंधक ग्रेड वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों पर पांच स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली स्थगन वेतनवृद्धि 3360/- रुपये की होगी और दूसरी स्थगन वेतनवृद्धि 3680/- रुपये की होगी:

बशर्ते यह कि अधिकारी दूसरी स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि अधिकारी दूसरी स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, की चौथी स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह और भी कि अधिकारी दूसरी स्थगन वेतनवृद्धि जारी होने के छह वर्ष पश्चात्, या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

(जी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान V के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद, प्रत्येक दो पूर्ण सेवा वर्षों हेतु प्रति रु. 4000/- के चार स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022—इनमें से जो भी बाद में हो—दूसरे स्थगन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होगा।

बशर्ते, यह भी है कि अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के छः वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022- इनमें से जो भी बाद में हो- तीसरे स्थगन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होगा।

बशर्ते और यह भी कि अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के आठ वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022- इनमें से जो भी बाद में हो- चौथे स्थगन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होगा;

(एच) उच्च प्रबंधन ग्रेड वेतनमान VI के अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के बाद प्रत्येक दो पूर्ण सेवा वर्षों हेतु तीन स्थगन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिसमें से पहले दो स्थगन वेतनवृद्धि प्रति रु. 4000/- एवं तीसरा स्थगन वेतनवृद्धि रु. 4340/- के होंगे:

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुँच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, रु. 4000/- की पहली स्थगन वेतन वृद्धि हेतु पात्र होगा:

बशर्ते, यह भी है कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुँच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, रु. 4000/- की दूसरी स्थगन वेतन वृद्धि हेतु पात्र होगा :

बशर्ते और यह भी कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुँच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के छह वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, रु. 4340/- की तीसरी स्थगन वेतन वृद्धि हेतु पात्र होगा ;

(आई) उच्च प्रबंधन ग्रेड वेतनमान VII के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के बाद, प्रत्येक दो पूर्ण सेवा वर्षों हेतु प्रति रु. 4340/- के तीन स्थगन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022- इनमें से जो भी बाद में हो- पहले स्थगन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होगा :

बशर्ते, यह भी है कि अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022- इनमें से जो भी बाद में हो- दूसरे स्थगन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होगा।

बशर्ते और यह भी कि अधिकारी अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के छः वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022- इनमें से जो भी बाद में हो- तीसरे स्थगन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होगा;

नोट: इस उप-विनियम के खंड (ए) से (आई) में उल्लिखित वेतन वृद्धि उन अधिकारियों को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति मिलने पर उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतन वृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा एवं अधिकारियों के विशेषाधिकार, भत्ते, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पद के अनुसार जारी रहेंगी।”

(बी) उप-विनियम (2) में,-

(i) **स्पष्टीकरण** से पहले निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 से, जो अधिकारी 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' (CAIIB) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' परीक्षा के भाग II (CAIIB-II) को पूरा कर लेते हैं, वे अपने वेतनमान में दो वेतनवृद्धियों हेतु पात्र होंगे; यह उन एक वेतनवृद्धि के अतिरिक्त होगी जो उन्हें 'जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंक्स' परीक्षा (JAIIB) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' परीक्षा के भाग I (CAIIB-I) को पूरा करने पर मिलती है:

इसके अलावा, वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवा में थे और जिन्होंने पहले ही 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' (CAIIB) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' परीक्षा का भाग II (CAIIB-II) पूरा कर लिया है, वे 1 नवंबर, 2022 से, या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' (CAIIB) अथवा 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' परीक्षा का भाग II (CAIIB-II) उत्तीर्ण करने की तिथि से-इन दोनों में से जो भी तिथि बाद की हो-दूसरे अतिरिक्त वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे।

यह भी शर्त है कि ऐसे मामले में कोई अधिकारी, 8 मार्च, 2024 को, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के बाद (JAIIB या CAIIB के मामले में) या वेतनमान की अधिकतम सीमा से एक स्तर कम वाले

स्तर तक पहुँचने के बाद (CAIIB या CAIIB-II के मामले में), 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' परीक्षा (JAIIB) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' परीक्षा का भाग I (CAIIB-I) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' (CAIIB) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' परीक्षा का भाग II (CAIIB-II) की योग्यता पहले ही प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करेगा, और ऐसी योग्यता प्राप्त करने के कारण अन्यथा हकदार होने के बावजूद उसने कोई वेतन-वृद्धि अर्जित नहीं की है- क्योंकि उन कर्मचारियों के वेतनमान में उस समय कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं थी- तो ऐसे मामलों में, 'स्थगन वेतन-वृद्धि' को एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, पहले दिया जा सकता है।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (एच) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“ 1 नवंबर, 2022 से एवं (आई) पर, अन्य बातें समान रहने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट के अनुसार संशोधित मानी जाएगी, अर्थात्:-

तालिका

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I पास किया है	वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के एक वर्ष बाद रु.1370/- प्रति माह।
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग पास कर लिए हैं	(ए) वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के एक वर्ष बाद रु.1370/- प्रति माह; (बी) वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के बाद दो वर्ष तक रु. 3425/- प्रति माह; (सी) वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के बाद तीन वर्ष तक रु. 5480/- प्रति माह:

बशर्ते कि कोई अधिकारी-कर्मचारी, जो वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के बाद 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) की योग्यताएँ प्राप्त करता है, उसे ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' की पहली किस्त प्रदान की जाएगी; और 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' की बाद की किस्तों का भुगतान, 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' की पहली किस्त के भुगतान की तिथि के संदर्भ में किया जाएगा:

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि 1 नवंबर, 2022 से, स्केल VIII में कार्यरत किसी भी अधिकारी -कर्मचारी को कोई भी 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' देय नहीं होगा।”;

(iii) नोट में, खंड (v) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-

“(vi) वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवाओं में थे और जिन्होंने पहले ही 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' (JAIIB) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स' (CAIIB) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक्स-II' (CAIIB II) पूरा कर लिया है और जो 'व्यावसायिक योग्यता वेतन'-II'

प्राप्त कर रहे हैं, वे "व्यावसायिक योग्यता वेतन'-III' के लिए, 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' -II' के जारी होने के एक वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022 से (इनमें से जो भी बाद में हो) पात्र होंगे।

(vii) वे अधिकारी जिन्होंने 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (JAIIB) (CAIIB-I) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (CAIIB) (CAIIB-II) पूरा कर लिया है और जो 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच गए हैं, और जिन्हें 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले पहला 'स्थगन वेतन-वृद्धि प्राप्त नहीं हुआ है, वे 1 नवंबर, 2022 से "व्यावसायिक योग्यता वेतन' -I' के लिए पात्र होंगे; और 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' की बाद की किस्त का जारी होना, इस खंड के तहत 'व्यावसायिक योग्यता वेतन-I' के जारी होने की तिथि के संदर्भ में होगा।";

(सी) उप-विनियम (3) में,-

(i) खंड (जी) में, तालिका के पश्चात, नोट (i) से (vi) को हटा दिया जाएगा;

(ii) खंड (एच) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) 1 नवंबर, 2022 से और (i) पर, अन्य बातें समान होने पर, नियत व्यक्तिगत वेतन के साथ-साथ मकान किराया भत्ता निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:

तालिका

वृद्धि घटक (रु.)	वृद्धि घटक पर 01 नवंबर 2022 तक महँगाई भत्ता (रु.)	कुल नियत व्यक्तिगत देय वेतन, जहाँ बैंक द्वारा आवास दिया गया है (रु.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

टिप्पणी:

- (i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में तालिका के स्तंभ (3) के अंतर्गत इंगित नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, खंड (i) के अधीन सारणी के स्तंभ (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी और संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा तब लिया जाने वाला

मकान किराया भत्ता होगा, जब विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित की गई हो;

(iii) 1 नवंबर 1993 को या उससे पहले बैंक में सेवा में थे, वे अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के एक वर्ष बाद नियत व्यक्तिगत भुगतान हेतु पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 से, नियत वैयक्तिक वेतन जारी करने के कारण उप-नियम (2) के स्पष्टीकरण के खण्ड (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा :

बशर्ते कि, जहाँ व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई भी किस्त, जो पिछली व्यवस्थाओं के कारण एक वर्ष आगे बढ़ा दी गई थी और जिसे 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी किया जाना निर्धारित था, उसे अधिकारी को इस तिथि से ही जारी किया जाएगा; और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त (यदि कोई हो) 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

(v) नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत भुगतान की वेतनवृद्धि घटक अधिवार्षिकी लाभों के लिए पात्र होगा।

(vi) कोई भी अधिकारी जिसने उपर्युक्त खण्ड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त की है, वह इस उप-विनियम के खण्ड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं (आई) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन की राशि, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद प्राप्त होगी।

5. उक्त विनियमनों के विनियम 21 में,-

(ए) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण में, खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(बी) पेशेवर योग्यता भत्ता या पेशेवर योग्यता वेतन, जैसा कि विनियम 5 के उप-विनियम (2) की व्याख्या के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी) और (आई) में विनिर्दिष्ट किया गया है, को महंगाई भत्ते की गणना हेतु लिया जाएगा।”;

(बी) उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

“(8) 1 नवंबर, 2022 को तथा उसके बाद से-

(ए) महंगाई भत्ता सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु पर वेतन का 1 प्रतिशत देय होगा;

(बी) उपर्युक्त तरीके से महंगाई भत्ता, औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधार वर्ष 2016=100 के त्रैमासिक औसत में 123.03 से अधिक की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक विचलन के लिए प्रदत्त किया जाएगा। सीपीआई 2016 में 123.03 अंकों से ऊपर, दशमलव के दूसरे स्थान पर होने वाले प्रत्येक बदलाव के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01 प्रतिशत का परिवर्तन होगा;

(सी) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन त्रैमासिक आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को निम्नलिखित के आधार पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

महंगाई भत्ता जारी करने की तिथि	महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंकों का त्रैमासिक औसत	महीने के लिए लागू
1 मई	जनवरी, फरवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त, सितंबर और अक्टूबर
1 नवंबर	जुलाई, अगस्त और सितंबर	नवंबर, दिसंबर और जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर	फरवरी, मार्च और अप्रैल

(डी) महंगाई भत्ते पर कोई सीमा नहीं होगी;

(ई) त्रैमासिक औसत की गणना करते समय, केवल पहले दो दशमलव अंकों पर ही विचार किया जाएगा।

6. कथित विनियमन के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(1) 1 नवंबर, 2022 को तथा उसके बाद से -

(ए) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है तो वह जिस वेतनमान में है उस वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, की वसूली उससे की जाएगी;

(बी) यदि अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा नहीं प्रदान की गई हो, तो वह निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराये भत्ते के लिए पात्र होगा :-

तालिका

क्रम संख्या	कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	प्रमुख “ए” श्रेणी के शहर तथा समूह ए में प्रोजेक्ट एरिया केंद्र	वेतन का 10.0%
2.	क्षेत्र 1 में अन्य स्थान तथा समूह बी में प्रोजेक्ट एरिया केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 9.0%
3.	अन्य स्थान	वेतन का 8.0%

बशर्ते कि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण के वेतन के 0.75 प्रतिशत से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया देय होगा जो ऊपर कॉलम (3) में दर्शायी गई दरों के अनुरूप देय मकान किराये भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

नोट : अधिकारी के अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराये भत्ते के दावे भी, पहले के समान, मकान किराये भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे।”

7. कथित विनियमन के विनियम 23 में, -

(ए) उप-विनियम (1) और (2) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) दिनांक 1 नवंबर, 2022 को तथा उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित किसी स्थान पर कार्यरत है तो उसे, स्थान के सामने कॉलम (3) में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा :

तालिका

क्रम संख्या	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 और उससे ऊपर के स्थान, तथा गोवा राज्य	रु. 2300/- प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पुदुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	रु. 1900/- प्रति माह

(2) दिनांक 1 नवंबर, 2022 से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाएंगी :

बशर्ते कि, जहाँ अनुसूची के कॉलम (1) में बताए गए किसी भी स्थान पर, उप-विनियम (10) के तहत निर्धारित पर्वतीय क्षेत्र और ईंधन भत्ता भी देय है, तो अधिकारी इन दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ते का ही हकदार होगा, दोनों का नहीं :

इसके अलावा, यदि इन दोनों भत्तों में से जो भी अधिक है, वह 31 दिसंबर, 1989 को अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए विशेष भत्ते और पर्वतीय क्षेत्र और ईंधन भत्ते के कुल योग से कम है, तो यह अंतर तब तक व्यक्तिगत भत्ते के रूप में संरक्षित रहेगा जब तक अधिकारी उस स्थान पर कार्यरत है।”;

(बी) उप-विनियम (4), (5), (6) और (7) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:—

“(4) दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तो जिस तारीख को अधिकारी नई जगह पर रिपोर्ट करता है, उत तारीख से उसे शैक्षिक वर्ष के अंत तक, प्रति बच्चा रु. 2500/- प्रति माह मध्य-शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा, परंतु यह भत्ता अधिकतम दो बच्चों तक के लिए मान्य होगा।

बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देते हैं तो ऐसा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर किसी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के स्थान पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है अथवा वह विकल्प के रूप में अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते :

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जिसका स्वामित्व बैंक के पास नहीं है जो उसी स्थान पर स्थित है, या किसी ऐसे प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले पदस्थ था, तो उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 3750/- प्रति माह होगी :

इसके अलावा, यदि ऐसे अधिकारी को मेट्रो या प्रमुख “ए” श्रेणी के शहरों में एक ही नगरपालिका सीमा या शहरी संकुलन के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है जहां प्रतिनियुक्ति की यह दूरी मूल शाखा या कार्यालय से बीस किलोमीटर या उससे अधिक होती है, वह विनियम 41 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित विराम भत्ते के लिए पात्र होगा।

(6) दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को किसी उच्च वेतनमान वाले पद पर एक बार में लगातार कम से कम चार दिनों की अवधि के लिए, या कैलेंडर माह के दौरान कुल मिलाकर चार दिनों के लिए कार्य करना आवश्यक हो, तो उसे अपने मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर स्थानापन्न भत्ता प्राप्त होगा, यह भत्ता उस अवधि के यथानुपात दिया जाएगा जिसके लिए उसने कार्य किया है, और यह स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में माना जाएगा :

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के तहत पदों की वर्गीकरण की समीक्षा के एकल परिणाम के कारण उच्चतर वेतनमान पर कार्य करता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा लागू होने की तारीख से एक वर्ष तक स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, कोई अधिकारी प्रत्येक लेखाबंदी के लिए प्रति तिमाही रु. 1500/- के लेखाबंदी भत्ता का पात्र होगा”;

(सी) उप-विनियम (10), (11), (12) और (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(10) दिनांक 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात् :-

तालिका

क्रम संख्या	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मेरकरा नगर	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1450/- प्रति माह के अध्यधीन
2.	1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1900/- प्रति माह के अध्यधीन
3.	3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु. 3750/- प्रति माह

(11) दिनांक 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, कोई भी अधिकारी प्रति माह रु. 850 का अध्ययन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ता पाने का पात्र होगा।

नोट: अध्ययन भत्ता और उस पर लागू होने वाला महंगाई भत्ता अधिवर्षिता लाभों, अर्थात् परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) सहित पेंशन, भविष्य निधि और उपदान के लिए नहीं माना जाएगा।

(12) दिनांक 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, कोई अधिकारी रु. 1200/- प्रति माह के नियत स्थान भत्ते के लिए पात्र होगा, जो उन क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में पदस्थ हैं जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए योग्य हैं, जिसे महंगाई भत्ता, अधिवर्षिता लाभों, अर्थात् परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) सहित पेंशन, भविष्य निधि और उपदान के भुगतान के लिए नहीं माना जाएगा।

(13) (ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 से, बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निम्नलिखित चुनिंदा मापदंडों में से निर्धारित मानदंडों के आधार पर, सभी अधिकारी कर्मचारियों को कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देय होगा, अर्थात् :-

- (i) चालू खाता और बचत खाता ;
- (ii) अनर्जक आस्ति ;
- (iii) विशेष उल्लेख खाते ;
- (iv) व्याजेतर आय ;
- (v) कुल कारोबार ;
- (vi) लाभप्रदता ;
- (vii) परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ या इक्विटी पर प्रतिलाभ ; और
- (viii) सरकारी योजनाएं।

(बी) कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि, खंड (ए) में ऊपर उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर, वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के 0 से 15 (अधिकतम) दिन के बराबर देय होगी।”

8. कथित विनियमन के विनियम 24 में,

(ए) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) 1 नवंबर 2022 को और उसके पश्चात, कोई अधिकारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, यदि ऐसे व्यय को स्वयं प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित करता है और नीचे तालिका में निर्धारित अनुसार दावा की गयी राशियों के लिए विवरण प्रस्तुत करता है, यथा:

तालिका

क्रम संख्या	ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु.13000 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक ग्रेड	रु.15400 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट 1: किसी अधिकारी को न ली गयी चिकित्सा राशि को संचित (accumulate) करने की अनुमति होगी और इस प्रकार संचित राशि कभी भी ऊपर तालिका में दी गयी राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 2: वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीनों, अर्थात् नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के लिए समानुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(बी) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(4) सभी अधिकारी नेत्र जांच के लिए प्रति वर्ष 500 रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे।”

9. कथित विनियमन के विनियम 25 में, उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(2) उप विनियम (1) में किसी बात के होते हुए, बैंक को इस बात का अधिकार होगा कि वह अधिकारी को रिहायशी आवास उपलब्ध कराए, जिसके लिए अधिकारी, 1 नवंबर, 2022 को और उक्त तारीख से, वह जिस वेतनमान में है उसके पहले चरण मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, का भुगतान करेगा :

यदि ऐसे आवासों में जहां अधिकारी को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है, तो बैंक द्वारा उस अधिकारी से, वह जिस वेतनमान में है उसके पहले चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर की राशि वसूली जाए।

जहां बैंक द्वारा ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहां बिजली, पानी, गैस और रखरखाव प्रभार का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

10. कथित विनियमन के विनियम 31 में, निम्नलिखित परंतुक शामिल किए जाएंगे, अर्थात्

"बशर्ते कि जहां संस्वीकृति प्राधिकारी अधिकारी को अवकाश देने से इंकार या स्थगित करता है, तो वह इसके कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

11. कथित विनियमन के विनियम 32 में उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

(3) 1 अप्रैल 2024 को और उससे, अधिकारी वर्ष में चार अवसरों पर आधे दिन के लिए दो दिन का आकस्मिक अवकाश, जिसमें से दो अवसर सुबह और दो अवसर दोपहर बाद में होंगे, का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि इस श्रेणी के तहत आकस्मिक अवकाश का लाभ चौबीस घंटे पहले आवेदन करने के बाद लिया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि अप्राप्त आकस्मिक अवकाश खाते में शेष अवकाश को स्थानान्तरित करते समय, यदि कोई अवकाश शेष (fraction) हो, तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

12. उक्त विनियमन के विनियम 33 में,

(ए) उप- विनियमन (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“(4) 1 जून 2015 से, विशेषाधिकार अवकाश अधिकतम दो सौ सत्तर दिनों तक संचित किया जा सकता है, सिवाय जहाँ अवकाश के लिए आवेदन किया गया है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2024 से, विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ पचपन दिनों तक प्रतिबंधित रहेगा:

बशर्ते यह भी कि अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्योहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा और अधिकारी जिसने पहले ही पचपन वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उससे अधिक, उसकी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा।

(5) विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने के इच्छुक अधिकारी को आम तौर पर अवकाश किराया रियायत के उद्देश्य को छोड़कर ऐसी छुट्टी का लाभ उठाने के अपने इरादे की कम से कम दस दिनों की सूचना देनी होगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने के लिए दस दिनों की ऐसी कोई अग्रिम सूचना आवश्यक नहीं होगी।

(बी) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

“(7) 1 अप्रैल, 2024 को और उससे, विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए, आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर, सभी प्रकार के अवकाश को शामिल किया जाएगा।

13. कथित विनियमन के विनियम 34 में, -

(ए) उप-विनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

“बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को और उससे, अधिकारी प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महीने की दर से बीमारी हेतु अवकाश के लिए पात्र होगा:

बशर्ते यह भी कि विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त बीमारी अवकाश सहित बीमारी अवकाश की कुल संख्या अधिकारी की पूरी सेवा में सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।

(बी) उप- विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

“(6) 1 अप्रैल 2024 को और उससे, एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी आठ वर्ष और उससे कम उम्र के अपने बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के अध्यक्षीन, बीमारी के अवकाश का लाभ उठा सकता है।

(7) 1 अप्रैल 2024 को और उससे, महिला कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रति माह एक दिन की बीमारी का अवकाश ले सकती है।

(8) 1 अप्रैल 2024 को और उससे, अधिकारी पंद्रह वर्ष और उससे कम आयु के विशेष बच्चे की बीमारी के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की अवधि के लिए बीमारी के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।

(9) 1 अप्रैल, 2024 को और उससे, अट्ठावन वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिकारी, अपने पति या पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए कार्यस्थल के अलावा अन्य केंद्र पर बीमारी के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।

14. कथित विनियमन के विनियम 36 में, उप-विनियम (1) में

(ए) खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(ए) महिला अधिकारी मूल वेतन पर किसी एक अवसर पर अधिकतम छह महीने की अवधि और उसकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने के लिए मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वाँ बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी।

बशर्ते यह भी कि 1 अप्रैल, 2024 को और उससे, एक प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि बारह महीने होगी:

बशर्ते यह भी कि आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।

(बी) खंड (डी) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(डी) महिला अधिकारी कानूनी रूप से एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यक्षीन अवकाश ले सकती है, अर्थात्:

- (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश दिया जाएगा;
- (ii) बच्चे को गोद लेना उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और कर्मचारी को ऐसे अवकाश स्वीकृत कराने के लिए बैंक में दत्तक-विलेख प्रस्तुत करना होगा;
- (iii) जन्म देने वाली माँ को भी अवकाश उपलब्ध होगा यदि बच्चा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है।

(iv) अवकाश का लाभ सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर लिया जाएगा।

(सी) खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

“(एफ) 01 अप्रैल 2024 को और उससे, वीट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है।

(जी) 01 अप्रैल, 2024 को और उससे, मृत शिशु के जन्म या जन्म के अट्ठाईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु होने पर महिला कर्मचारी द्वारा साठ दिन तक विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।

15. उक्त विनियमन के विनियम 37 ए के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“37 ए. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश:- (1) दिनांक 01 नवंबर 2020 से अधिकारी विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब शाखा जहां वह काम कर रहा है या जिस स्थान पर वह रह रहा है वहां कर्फ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित होता है।

(2) दिनांक 01 नवंबर 2020 से प्रभावी, शारीरिक या ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग अधिकारी चार दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा।

(3) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, अखिल भारतीय अधिकारी यूनियनों या संघों के प्रधान पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिनों तक विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(4) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, विभागीय जांच में रक्षा प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत अधिकारी, किसी अधिकारी की कोई रक्षा प्रस्तुति तैयार करने के प्रयोजन हेतु एक दिन का विशेष अवकाश ले सकते हैं:

बशर्ते कि ऐसी विशेष अवकाश का लाभ एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों के लिए उठाया जाएगा।

(5) अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और कोई विशेष अवकाश भी दिया जा सकता है जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।”

16. कथित विनियमन के विनियम 37 ए के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

“37बी. शोक अवकाश.- किसी अधिकारी-कर्मचारी को परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता और सास-ससुर) की मृत्यु पर उतने दिनों के लिए शोक अवकाश दिया जाएगा, जितना समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा:

बशर्ते कि बीच के अवकाश शोक अवकाश का हिस्सा होंगे।

बशर्ते यह भी कि उक्त अवकाश मृत्यु के अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर लिया गया हो:

बशर्ते कि उक्त अवकाश को विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजन के लिए “सक्रिय सेवा” नहीं माना जाएगा।”

17. उक्त विनियमन के विनियम 41 में,

(ए) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1) 1 अप्रैल, 2024 से, जहां भी किसी अधिकारी को झूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्: -

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड में कोई अधिकारी किसी भी ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का पात्र होगा, जिसमें राजधानी या शताब्दी या तेजस या वंदे भारत या अमृत भारत आदि (लग्जरी ट्रेन) जैसी प्रीमियम ट्रेन शामिल हैं:

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो, तो कारोबार या जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई मार्ग (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है;

(बी) मध्य प्रबंधन ग्रेड में कोई अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी हवाई मार्ग (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है यदि यात्रा की जाने वाली दूरी पांच सौ किलोमीटर से अधिक है:

बशर्ते यह भी कि ऐसा अधिकारी कारोबार या जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर कम दूरी के लिए भी हवाई मार्ग (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है;

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक ग्रेड में कोई अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन द्वारा या हवाई मार्ग (इकोनॉमी क्लास) द्वारा एसी प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का हकदार है;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड में कोई अधिकारी उन स्थानों के बीच कार द्वारा यात्रा कर सकता है जो हवाई या रेलमार्ग यात्रा से जुड़े नहीं हैं, बशर्ते कि दूरी पांच सौ किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का अधिकांश भाग हवाई या रेल से तय किया जा सकता है, तो शेष दूरी ही सामान्य रूप से कार द्वारा तय की जानी चाहिए।

(ई) कोई अन्य अधिकारी, कारोबार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्वयं के वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है;

(एफ) किसी भी ग्रेड या वेतनमान का अधिकारी सड़क या हवाई या रेल द्वारा जुड़े हुए स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा;

(जी) अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लग्जरी ट्रेनों को छोड़कर) के किराए के लिए पात्र होगा।

नोट 1: ट्रेन के किराए पर लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर/प्रभार पात्रता के अतिरिक्त होंगे।

नोट 2: मौजूदा डाइनेमिक किराया प्रणाली की दृष्टि से, बुकिंग की तारीख पर ट्रेन टिकटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी

(बी) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“ (ए) विराम भत्ता - 1 अप्रैल, 2024 से, तालिका के कॉलम (2) में दिए गए ग्रेड या स्केल में कोई अधिकारी कॉलम (3) में निर्धारित संबंधित दरों पर 'प्रतिदिन' विराम भत्ते का हकदार होगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम संख्या	अधिकारियों के ग्रेड या वेतनमान	विराम भत्ता			
		मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र I रु.	अन्य स्थान रु.
(1)	(2)	(3)			
1.	वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2.	वेतनमान IV और V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3.	वेतनमान I, II और III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किंतु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका कोई पश्चातवर्ती भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" का अर्थ कम से कम आठ घंटे की अवधि होगी।"

18. कथित विनियमन के विनियम 42 में,

(ए) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(3) 01, अप्रैल 2024 को और उसके बाद, किसी अधिकारी के स्थानांतरण होने पर निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार वह पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के लिए पात्र होगा, जो इस प्रकार है:-

तालिका

क्रम सं.	ग्रेड या वेतनमान	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	रु.50,000/-
2.	मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु.40,000/-."

(बी) उप-विनियम (4) में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, जहां बैंक द्वारा किसी अधिकारी को तैनाती के नए स्थान पर कोई रिहायशी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है और जहां ऐसे अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में, उसके नियंत्रण से परे कारणों से, अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है, तो सक्षम प्राधिकारी, नए स्थान पर ऐसे अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, योग्यता के आधार पर पंद्रह दिनों की अवधि के लिए या आवास उपलब्ध कराए जाने तक, जो भी पहले हो, आवास और बोर्डिंग प्रभागों या विराम भत्ते के अनुदान पर विचार कर सकता है।

19. उक्त विनियमन के विनियम 44 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"44. अवकाश यात्रा रियायत :- (1) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, कोई अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने निवास स्थान की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने निवास स्थान तक और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान तक सबसे छोटे मार्ग से यात्रा कर सकता है।

(2) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, वैकल्पिक रूप से, कोई अधिकारी चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान किसी भी समय एक विकल्प का प्रयोग करके, जैसा भी मामला हो, अपनी अवकाश यात्रा रियायत (निवास स्थान की यात्रा के अलावा) को सरेंडर और इसका नकदीकरण कर सकता है, जिस पर वह कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I, मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एकतरफा) की दूरी और वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV और उससे ऊपर के

अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एकतरफा) तक ट्रेन से यात्रा के लिए योग्य किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि अवकाश यात्रा रियायत के नकदीकरण का विकल्प चुनने वाला अधिकारी, केवल एक बार उस ब्लॉक के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावे को प्राथमिकता देगा जिसमें ऐसे नकदीकरण का लाभ लिया जाता है और अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होती है।

- (3) जिस माध्यम और श्रेणी से कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ ले सकता है, वह वही होगी जिसके लिए अधिकारी सामान्यतः स्थानांतरण के दौरान यात्रा करने का पात्र होता है तथा अन्य नियम एवं शर्तें जिनके अधीन कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ ले सकता है वह समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल में अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय कोई अधिकारी सबसे कम किराए वाली इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा, तो ऐसे मामले में प्रतिपूर्ति यात्रा की गई दूरी के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के किराए पर लागू किराया या वास्तविक किराया, जो भी कम हो और यही नियम तब लागू होंगे जब मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल में एक अधिकारी II और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते हैं जहां दूरी पांच सौ किलोमीटर से कम है।

- (4) प्रत्येक चार वर्षों में एक बार, जब कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेता है, तो उसे एक बार में तीस दिनों के अपने विशेषाधिकार अवकाश को सरेंडर करने और नकदीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है या वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर की यात्रा करते समय और अन्य ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर यात्रा करते समय, प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिनों या एक ब्लॉक में तीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है और अवकाश नकदीकरण के प्रयोजन के लिए उस महीने के लिए देय सभी वेतन स्वीकार्य होंगे जिसके दौरान अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लिया जाता है:

बशर्ते कि अधिकारी को अपने विकल्प पर प्रधानमंत्री राहत कोष में दान के लिए एक दिन का अतिरिक्त विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह इस आशय का पत्र बैंक को दे और बैंक को निधि में राशि भेजने के लिए प्राधिकृत करे।

- (5) जहां पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में काम कर रहे हैं अवकाश यात्रा रियायत का स्वतंत्र रूप से लाभ ले सकते हैं।
- (6) उत्तर-पूर्व राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए, अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक के लिए पात्र ट्रेन किराया अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा।
- (7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई या कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर या किसी अन्य क्षेत्र में दूर-दराज की शाखाओं के लिए जो ट्रेन से सीधे नहीं जुड़े हैं,

इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य हकदारी के अलावा अवकाश यात्रा रियायत के तहत अतिरिक्त रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- (8) अवकाश यात्रा रियायत सुविधा उस साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए दी जाएगी जो बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर जाता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्: -

ए) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई है;

बी) अधिकारी की शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति ऐसी है कि यात्रा के लिए साथ जाने हेतु एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और संदेह की स्थिति में, विभाग के प्रमुख या नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा;

सी) ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के पास उसके साथ रहने के लिए आश्रित के रूप में परिवार में वयस्क परिवार का कोई वयस्क सदस्य नहीं है;

डी) ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी और साथ जाने वाला व्यक्ति, यदि कोई हो, तो रेलवे या राज्य सड़क प्राधिकरणों द्वारा ऐसे मामलों में रेल या बस किराए में दी जाने वाली रियायत का लाभ उठाएंगे; और

ई) कोई अन्य व्यक्ति जो आश्रित के रूप में अवकाश यात्रा रियायत का हकदार है, यात्रा पर ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ नहीं जाता है।

- (9) जहां किसी अधिकारी ने अवकाश यात्रा रियायत या अग्रिम अवकाश के लिए आवेदन किया है और टिकट भी बुक किए हैं और प्रबंधन द्वारा अवकाश यात्रा रियायत अस्वीकार या स्थगित कर दी गई है, तो बैंक द्वारा रद्दीकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- (10) जहां किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत या अवकाश के लिए आवेदन किया है और उसे मंजूरी दे दी गई है और जब ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल के तहत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

20. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“अनुसूची

[विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें]

1 नवंबर, 2022 से, अधिकारी, निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होंगे, जब तक कि ये भत्ते पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस नहीं लिए जाते या संशोधित नहीं किए जाते, जो इस प्रकार हैं:-

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र.स.	स्थान	भत्ते (रु. में)	
		रु. 48,481/- से कम वेतन	रु. 48,481/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		

	(ए) मिजोरम का चिम्पतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्र;	4100	5300
	(बी) पूरे लुंगलेई जिले में, लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से दूर वाले क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
	(सी) सम्पूर्ण आइजोल जिला।	2700	3400
2.	नागालैंड	4100	5300
3.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह		
	(ए) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	4100	5300
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300
4.	सिक्किम	4100	5300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4100	5300
6.	असम	1000	1200
7.	मेघालय	1000	1200
8.	त्रिपुरा		
	(ए) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण त्रिपुरा	2700	3400
9.	मणिपुर	2700	3400
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश	4100	5300
11.	ए.-जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र		
	(1) कठुआ जिला: नियाबतबानी, लोही, मलहार और मछोदी	4100	5300
	(2) उधमपुर जिला:		
	(ए) डूडू बसंतगढ़, लेंडर भमाग इलाका, थाकराकोटे और नगोटे	4100	5300
	(बी) नीचे (सी) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर माहोर तहसील के सभी क्षेत्र	4100	5300
	(सी) माहोर तहसील में कंबन की ओर से गोयल तथा केअसी की ओर से अरनास तक के क्षेत्र	4100	5300
	(3) डोडा जिला: कश्मीर तहसील में पडुर और नियाबत नौगाम के इलाके	4100	5300
	(4) बारामुल्ला जिला:		
	(ए) पूर्ण गुरेज़-नियाबत, तंगडार सब डिवीजन और केरन इलाका	4100	5300
	(बी) माछिल	4100	5300
	(5) पुंछ और राजौरी जिले: पुंछ और राजौरी शहर एवं दो जिलों के सुन्दरबानी और अन्य शहरी क्षेत्र को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र	2700	3400

	(6) उपरोक्त (1) से (5) के अलावा अन्य क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं या वह क्षेत्र जिन्हें समय-समय राज्य सरकार द्वारा उनके स्टाफ के लिए बार्डर भत्ते के रूप में घोषित किया जाता है।	2700	3400
11.	बी.-लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र: लेह जिला: नोयामा और नोब्रे ज़ांस्कर जिले के अन्य सभी स्थान	4100	5300
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चम्बा जिला		
	(ए) पांगी तहसील भरमौर तहसील में पंचायत और गाँव: पंचायतें: बडगांव, बाजोल, देओल कुगती, नयागम और टुंडा ग्राम: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी	4100	5300
	(बी) भरमौर तहसील, उपरोक्त (ए) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर	4100	5300
	(सी) भटियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुरह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत सहित)।	2700	3400
	2) किन्नौर जिला:		
	(ए) आसरंग, चितकुल और हांगोकुनो/चारांग पंचायत, छोटा खंबा, नाथपा और रूपी की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए 15/20 क्षेत्र, पूह उप संभाग, उपर्युक्त निर्धारित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर।	4100	5300
	(बी) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला।	4100	5300
	(3) कुल्लू जिला:		
	(ए) जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए निरमंड तहसील के 15/20 क्षेत्र	4100	5300
	(बी) बाहरी-सेरज (निरमांद तहसील के जकात-खाना और बुराउ गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला (बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्रवीस के परगना को छोड़कर) लेकिन निरमांद तहसील के जकात-खाना और बुराव को शामिल करते हुए	2700	3400
	(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4100	5300
	(5) शिमला जिला :		

(ए) जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चादी-ब्रांदा की पंचायतों को सम्मिलित करते हुए रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र	4100	5300
(बी) दोरा-कवर तहसील, रामपुर में दरकली ग्राम पंचायत, कशपथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की घोरी चैबिस	4100	5300
(सी) (I) चोपाल तहसील (i) घोरिस, पंजगांव, पटसनौ, नौबिस और परगना सराहन की तीन कोठी, (ii) तकलेष क्षेत्र की देओथी ग्राम पंचायत, (iii) परगना बराबिस (iv) रामपुर तहसील का रामपुर कस्बा और परगना रामपुर का घोरी नोग, (II) शिमला कस्बा और उसका नगर परिसर (धाली, जतोग, कसुम्पति, मशोब्रा, तारादेवी और टूटू)	2700	3400
(6)कांगड़ा जिला :		
(ए) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	4100	5300
(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला कस्बा और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कस्बे लेकिन धर्मशाला कस्बे में शामिल – (ए) विमेन्स आईटीआई, दारी, (बी) मिक्केनिकल वर्कशॉप, (सी) रामनगर, शिशु कल्याण और शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, (डी) लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, (ई) कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, दूगैर, (एफ) एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, (जी) आंचलिक (जोनल) मलेरया कार्यालय, (एच) दारी वन निगम कार्यालय, शामनगर, (ऐ) चाय फैक्ट्री, दारी, (जे) आई.पी.एच. उप-खण्ड, दारी, (के) निपटान (सेटलमेंट) कार्यालय, शामनगर, (एल) हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर। II. पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस को मिलाकर कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय लेकिन	2700	3400

	पालमपुर शहर में शामिल – (ए) एच.पी.कृषि विश्व-विद्यालय कैम्पस, (बी)मवेशी विकसित कार्यालय/जर्सि फॉर्म ,बुनारि (सी) रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि वर्कशाप/एचपीपीडब्ल्यूडी प्रभाग, बुंदला (डी) इलेक्ट्रिकल उप-खंज, लोहना, (ई)डी.पी.ओ. निगम, बुंदला, (एफ) इलेक्ट्रिकल एचईएसईईई खंड, घुग्गर।		
	(7) मण्डी जिला :		
	जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील में पंचायतें: बागरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गट्ट, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलिबगी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, धर्मपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कमलाह, सकलाना, तान्यार और तारखोलाह, करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा	2700	3400
	(8)सिरमौर जिला : (ए) का निम्नलिखित पंचायत (i) बानी, बखाली (पछड़ तहसील) (ii)भारोग भेनेरी (पांवटा तहसील (iii)बिरला (नहान तहसील), (iv)दिब्बेर(पछड़ तहसील) और (v) थाना कलौगा (नाहन तहसील) (बी)थानसगीरी भूभाग		
	(9) सोलन जिला : मंगल पंचायत	2700	3400
	(10) उपरोक्त (1) से (9) तक की मदों में शामिल नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र	1000	1200
13.	उत्तराखण्ड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चम्पावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।	4100	5300

14.	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हाँज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बागना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामाठी (बिद्या), कैनिंग, कुल्लाली, पियाली, नलगराहा, रायदिघी, भानची, पत्थर प्रतिमा, भगवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हारोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुल्लोला, घुशीघाटा (कुल्टी)	1000	1200.”.
-----	--	------	---------

सुधीरंजन पांडी, मुख्य महाप्रबंधक –एचआर

[विज्ञापन-III/4/असा./77/2026-27]

नोट: बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों) सेवा विनियमन, 1979 को भारत के राजपत्र के भाग – III खंड 4 में प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात्:-

क्रमांक संख्या	राजपत्र अधिसूचना संख्या	आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	51	17.12.1988
2.	11	17.03.1990
3.	8	23.02.1991
4.	18	02.05.1992
5.	20	17.05.1997
6.	34	23.08.1997
7.	21	22.05.1999
8.	14	01.04.2000
9.	3	20.01.2001
10.	39	29.09.2001
11.	21	24.05.2003
12.	103	28.06.2006
13.	186	16.12.2006
14.	5	03.02.2018
15.	450	26.10.2020
16.	971	04.12.2024

व्याख्यात्मक ज्ञाप

ये विनियमन विशिष्ट अधिदेश के आधार पर इस संबंध में सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ तथा उच्च स्तरीय अधिकारी संघों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट में स्वीकृत निबंधन और शर्तों के अनुसार हैं पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी किया गया है। अतः इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

BANK OF INDIA
(Human Resources Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

No. BOI/HO/HR/IR/MKB/L-48(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter number 4/2/1/2022-IR dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) ‘Family’ in relation to an Officer employee for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession shall mean-

- (i) the Officer employee's spouse;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and
- (vi) parents wholly dependent on the employee:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage, subject to fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation 1.- The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer employee.

Explanation 2.- For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Fare Concession, for all officer employees, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The officer employee shall have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

Explanation 3.- This definition shall be effective from the 1st April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme and the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st November, 2024.

3. In regulation 4 of the said regulations,-
- (a) The *Explanation* to sub-regulation 7 shall be omitted;
- (b) for sub-regulations 9 and 10, the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(9) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs.253000 - 9000/4 - 289000

Scale VII = Rs.156500 - 4340/4 - 173860

Scale VI = Rs.140500 - 4000/4 - 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.120940 - 3360/2 - 127660 - 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs.102300 - 2980/4 - 114220 - 3360/2 - 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.85920-2680/5- 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs.64820-2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

Explanation. - Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31stOctober, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1stNovember, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1st November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VIII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that an officer in Scale VIII will be eligible for special allowance on and from the 31st March, 2020.

(13) On and from the 1st November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale II – III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VIII - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to in sub-regulations (11), (12) and (13) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

a. for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (9) of regulation 4, on and from the 1stNovember, 2022, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) and (d) below, subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments, each such increment for every two completed years of service, of which the first two shall be Rs. 2680/- each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs. 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs 2980/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that the officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs. 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs. 4340/-:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs 4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later.

Note: The increments as mentioned in clauses (a) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

b. in sub-regulation (2),-

- (j) before the *Explanation*, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers’ examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that the officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers’ examination (CAIIB-II) shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers’ examination (CAIIB-II), whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March, 2024, has already acquired or shall acquire Junior Associate of Institute of Indian Bankers' examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers' examination (CAIIB-II) after reaching the maximum of the scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB) or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of Pay (in case of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers' examination (CAIIB-II)), and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.”;

- i. in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely:-

Table

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(a) Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that on and from the 1st November, 2022, no Professional Qualification Pay shall be payable to an officer employee working in Scale VIII.”;

- ii. in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(vi) officers who were in the services of the Bank as on 1st November, 2022 and have already completed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers-II (CAIIB II) and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIIB) (CAIIB-I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.”;

- c. in sub-regulation (3),-

(i) in clause (g), after the Table, Notes (i) to (vi), shall be omitted;

(ii) after clause (h), the following shall be inserted, namely:-

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1 st November 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Table in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers employees who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the Table under clause (i) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of professional qualification pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November, 2000.
- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.”.

5. In regulation 21 of the said regulations,-

- (a) in sub-regulation (6), in the *Explanation*, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
“(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of the *Explanation* to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.”;
- (b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(8) On and from the 1st November, 2022,-

(a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;
(b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01 per cent. change in Dearness Allowance on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;

- (c) the change in the Dearness Allowance rate will be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely:-

Dearness Allowance release date	Quarterly average of Consumer Price Index points of the months	Applicable for the month
1 st May	January, February and March	May, June and July
1 st August	April, May and June	August, September and October
1 st November	July, August and September	November, December and January
1 st February	October, November and December	February, March and April

there shall be no ceiling on Dearness Allowance;

while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.”.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1st November, 2022,-

- where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:-

Table

Serial number	Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of Pay
2.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of Pay
3.	Other places	8.0% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”.

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (3) thereof against that place shall be payable:

Table

Serial number	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of the Goa	Rs. 2300/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month

- (2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both:

Provided further that of such higher of the two allowances is less than the aggregate of Special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the officer on 31st December, 1989, then such difference shall be protected as personal allowance till such time the officer remains at that place.”;

- b. for sub-regulations (4), (5), (6) and (7), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(4) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year.

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where such officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major “A” class cities where the distance of such deputation is twenty kilometers and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as mentioned in sub-regulation (4) of regulation 41.

(6) On and from the 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

- (7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.”;

c. for sub-regulations (10), (11), (12) and (13) the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the Table below, namely:—

Table

Serial number	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

(11) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs. 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(12) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance, which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(13) (a) from the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters, namely:—

- (i) Current Account and Saving Account;
- (ii) Non-Performing Assets;
- (iii) Special Mention Accounts;
- (iv) Non – interest income;
- (v) Total Business;
- (vi) Profitability;
- (vii) Return on Assets or Return on Equity; and
- (viii) Government Schemes.

(b) Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a) above.”.

8. In regulation 24 of the said regulations,–

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of own certificate of the officer of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:—

Table

Serial number	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less

Note 1: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2: For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.”;

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) All officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs. 500/- per year towards eye check-up.”.

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), on and from the 1st November, 2022, it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely”

“Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the officer, it shall record the reasons for the same in writing.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying twenty-four hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

12. In regulation 33 of the said regulations,-

a. for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:-

“(4) On and from the 1st June 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty-five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who has already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail Privilege Leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing Privilege Leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

b. after sub-regulation (6), following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating Privilege Leave, all types of leave availed, except casual leave and mandatory leave shall be excluded.”.

13. In regulation 34 of the said regulations,-

a. In sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave including additional sick leave mentioned in regulation 35 shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

b. after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April, 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

14. In regulation 36 of the said regulations, in sub-regulation (1),-

a. for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) A female officer shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024 in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed by combining with any other kind of leave except casual leave.”;

b. for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) A female officer may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

(i) leave will be granted for adoption of only one child;

(ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.”;

c. after clause (e), following clauses shall be inserted, namely:-

“(f) On and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months

(g) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

15. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“37A. Special casual leave and special leave.- (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working, or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, and the like.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, the Principal Officer bearers of All India Officers’ Unions or Associations shall be granted Special Leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

16. After regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

“37B. Bereavement leave.- An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave.

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise:

Provided also that the said leave shall not be considered as “Active service” for the purpose of calculation of privilege leave.”.

17. In regulation 41 of the said regulations,-

a. for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely: -

- (a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may travel by air (economy class), if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that such officer may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than five hundred kilometers:

Provided further that such officer may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains as mentioned in clause (a) or by air (economy class);

- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed five hundred kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;

- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;

- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;

- (g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Services Tax/ charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.”;

- b. In sub-regulation (4), for clause(a), the following shall be substituted, namely:-

“(a) Halting allowance- On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (2) of the Table shall be entitled to ‘*per diem*’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (3) thereof, namely:-

Table

Serial number	Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
		Metro Rs.	Major 'A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
(1)	(2)	(3)			
1.	Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
2.	Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
3.	Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance ‘*per diem*’ shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, ‘*per diem*’ shall mean a period of not less than eight hours.”.

18. In regulation 42 of the said regulations,-

- a. for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, and the like, as specified in the Table below, namely:-

Table

Serial number	Grade or Scale	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
2.	Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs.40000/-”;

b. in sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:

“Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and boarding charges or Halting Allowance for a period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

19. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:

“44. Leave Travel Concession.- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case maybe, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply when an Officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession where the distance is less than five hundred kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

- (5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.
- (6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.
- (7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.
- (8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to the following conditions, namely:-
 - a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;
 - b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;
 - c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;
 - d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
 - e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.
- (9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or Leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.
- (10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.”.

20. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE
[See sub-regulation (2) of regulation 23]

On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

Table
Special Area Allowance

Serial number	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei town in Lunglei district.	4100	5300
	(b) Entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town	4100	5300
	(c) Entire Aizawl district	2700	3400

2.	Nagaland	4100	5300
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, middle Andamans, little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4.	Sikkim	4100	5300
5.	Lakshadweep Islands	4100	5300
6.	Assam	1000	1200
7.	Meghalaya	1000	1200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except difficult areas	2700	3400
9.	Manipur	2700	3400
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	4100	5300
11.	A.-Union territory of Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) Udhampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and Keran Illaqua	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300
	(5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of 8 kilometers from the Line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
11.	B.-Union territory of Ladakh:	4100	5300
	Leh District: Noyama and Nobre Zaskar All other places in the District		
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300

	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper)	2700	3400
	(2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats, 15/ 20 area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above	4100	5300
	(b) Entire district other than areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
	(c)(I) Chopal Tehsil (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan; (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area; (iii) Pargana Barabis; and (iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil; (II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhargal and Chhota Bhargal	4100	5300
	(I) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala town: (a) Women's ITI, Dari, (b) Mechanical Workshop, Ramnagar, (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, (d) CRSF Office at lower Sakoh, (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, (f) HRTC Workshop, Sadher, (g) Zonal Malaria Office, Dari, (h) Forest Corporation Office, Shamnagar, (i) Tea Factory, Dari, (j) I.P.H. Sub- Division, Dari (k) Settlement Office, Shamnagar,	2700	3400

	(I) Binwa Project, Shamnagar, (II) Palampur town, including HPKVV Campus at Palampur and following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – (a) H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, (b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri, (c) Sericulture Office or Indo- German Agriculture Workshop or HPPWD Division, Bundla, (d) Electrical Sub-Division, Lohna, (e) D.P.O. Corporation, Bundla, (f) Electrical HPSE Division, Ghuggar		
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400
	(8) Sirmaur District: (a) Following Panchayats of (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), (ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), (iii) Birla (Nahan Tehsil), (iv) Dibber (Pachhad Tehsil) and (v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil) (b) Thansgiri Tract	2700	3400
	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudrapur and Champavat districts	4100	5300
14.	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200.”.

SUDHIRANJAN PADHI, Chief General Manager -HR

[ADVT.-III/4/Exty./77/2026-27]

Note: The Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

Serial number	Gazette notification number	Date of publication in the Official Gazette
(1)	(2)	(3)
1.	51	17.12.1988
2.	11	17.03.1990
3.	8	23.02.1991
4.	18	02.05.1992
5.	20	17.05.1997
6.	34	23.08.1997
7.	21	22.05.1999
8.	14	01.04.2000
9.	3	20.01.2001
10.	39	29.09.2001
11.	21	24.05.2003
12.	103	28.06.2006
13.	186	16.12.2006
14.	5	03.02.2018
15.	450	26.10.2020
16.	971	04.12.2024

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.